10/1/22	बार-बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी ना तो अपी० एवं वादी उनके अभिभाषक गण पुकार आये। हैसेवा उपस्थित। अतः पत्रावली अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रा० फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	S. Dwivedi adv

पूर्णकालिक अधिकारी,
प्रधान
[illegible] अधिकारी
[illegible]-बीकापुर